

18.05 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—
—Contd.

Notifications under customs Act and Central Excise Rules

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) Notification No. 29/83-customs published in Gazette of India dated the 25th February, 1983 regarding exemption to components required for the manufacture fuel-efficient small cars of engine capacity not exceeding 1000 cc in excess of the basic customs duty of 25 per cent per cent *ad valorem*.

(ii) Notification No. 29A/83 Customs published in Gazette of India dated the 25th February, 1983 regarding exemption to components required for the manufacture of fuel-efficient small cars of engine capacity not exceeding 1000 cc in excess of 15 per cent *ad valorem* auxiliary duty of customs.

(iii) Notification No. 30/83-Customs published in Gazette of India dated the 25th February, 1983 regarding exemption to components required for the manufacture of fuel-efficient two-wheeled motor vehicles in excess of the basic customs duty of 25 per cent *ad valorem*.

(iv) Notification No. 30A/83-Customs published in Gazette of India dated the 25th February, 1983 regarding exemption to components required for the manufacture of fuel-efficient two-wheeled motor vehicles in excess of 15 per cent *ad valorem* auxiliary duty of customs.

(2) An explanatory Memorandum (Hindi and English versions) in regard to the notifications mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Central Excise Rules, 1944:—

(i) Notification No. 26/83-Central Excises published in Gazette of India dated the 25th February, 1983 together with an explanatory memorandum regarding exemption to fuel-efficient small cart of engine capacity not exceeding 1000cc. in excess of 15 per cent *ad valorem* (basic).

(ii) G.S.R. 103(E) published in Gazette of India dated the 25th February, 1983 together with an explanatory memorandum regarding full exemption from excise duty on bare copper wires of 30 SWG and finer (thinner) than 30 SWG proved so the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise to be intended for the manufacture of limitation zari.

18.07 hrs.

RELEASE OF MEMBERS

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to inform the House that the following wireless message dated 24th February, 1983, addressed to the Speaker, Lok Sabha, has been received from the Superintendent District Jail, Sagar, M.P., today:—

“Shri Ramprasad Ahirwar, M.P., was released under sections 151|107|116 Cr. P.C. on 23rd February 1983 and detained in other case under sections 143 448|153 IPC under the warrant of Chief Judicial Magistrate, Sagar. Now Shri Ramprasad Ahirwar, M.P: has been released from jail on 24th February 1983 under orders of Chief Judicial Magistrate, Sagar”

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mrs. Vidya, you can continue

श्रीमती विद्या चंनुपति : : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान शंत्री श्रीमती इन्दिरा गंधी के नेतृत्वों जो प्रोग्राम्स लिए गए हैं उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया गया है। जो बीस

सूत्री कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम और शैड्युल्ड कास्ट तथा शैड्युल्ड ट्राइब्ज, जो वीकर सेक्शनस हैं, उनके लिये हार्डसिंग प्रोग्राम की व्यवस्था रखी गई है। ईरीगेशन फैसिलिटीज भी दी गई है। अछूत बनाकर जिस वर्ग को समाज से दूर रखा गया है, उस वर्ग के डेवलपमेंट के लिये स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्पेशल फैसिलिटीज दी गई हैं। समाज में वीकर सेक्शन के लिये सरकार सभी प्रकार की फैसिलिटीज दे रही है।

इसके साथ-साथ मैं एजुकेशन के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। आज कल, जैसा प्रकार की सुविधा दी जा रही है, उस के साथ-साथ हमें टैक्नीकल एजुकेशन भी देनी चाहिये। मैं प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने टी वी व रेडियो जैसे मास-मीडिया की ओर ध्यान दिया है, जिससे देश के लोगों को बहुत फायदा होगा।

मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग जैसे कार्यक्रम को, जो कि समाज के वेलफेयर के लिए है, सफल बनाने के लिए काफी कारगर कदम उठाए हैं, लेकिन विरोधी दल के लोगों का यह आदर्श है कि वे उसके खिलाफ ही बोलेंगे। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम को अपने हाथ लिया था, लेकिन माननीय सदस्य, श्री राम जेठ मलानी जी कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं हुआ है। मेरी दृष्टि में इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। सरकार जो भी कार्यक्रम अपने हाथ में लेती है, वह देश के हित के लिए लेती है, और उसमें हम सबका सहयोग

होना चाहिए"। फैमिली प्रोग्राम के तहत एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जब इस प्रोग्राम की बात की जाती है तो रिलीजियन और गांड बीच में आ जाते हैं। देवदासी विधेयक, जो कि सदन में विचारार्थ है, आज एक जीता-जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि यह हमारा रिलीजियन है कि हमें भगवान को महिलाओं को अर्पण करना है। इसी प्रकार की बातें फैमिली कार्यक्रम के लिए कही जाती हैं। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो। छोटे-परिवार की बात हम इसीलिए कहते हैं कि देश का विकास हो। देश की जनसंख्या 1951 वर्ष के मुताबिक 36 करोड़, 10 लाख 18 हजार थी, लेकिन अब 1981 वर्ष की सेंसस के मुताबिक 68 करोड़ 38 लाख, 10 हजार है, जो कि लगभग दुगुने के बराबर है। हमारी 90 परसेन्ट पापुलेशन बढ़ गई है। जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय 100 के जी व्हीट का बैग दो रुपये में आता था, लेकिन आज 200 रुपये में भी नहीं मिलता है, इतने ज्यादा उस के दाम बढ़ गये हैं। लेकिन इनकम भी साथ-साथ बढ़ती जा रही है, इण्डस्ट्रीज बढ़ गई हैं, एग्रीकल्चर का काम बढ़ गया है। उस समय हम सुई भी जापान से लाते थे, लेकिन आज सुई बनाने की मशीन भी हम बनाते हैं। हमारे यहां टैक्नीकल एजुकेशन बहुत बढ़ गई है। इस तरह से पापुलेशन के साथ-साथ आमदनी भी बढ़ गई है।

लेकिन जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, पापुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो उस में गांड और रिलीजियन सामने आ जाते हैं। जब एम्प्लायमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने हम को कुछ नहीं दिया, तब रिलीजियन और गांड सामने नहीं आते हैं। उस समय रिलीजियन और गांड कहां चले

[श्रीमती विद्या चन्नुपति]

जाते हैं ? इस समय अपोजीशन के लोग नहीं बैठे हैं मैं उन के सामने बोलना चाहती थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे इसी समय बोलने के लिये कह दिया । मुझे उम्मीद है वे मेरी स्पीच को जरूर पढ़ेंगे । आज हमारे समाज की व्यवस्था इस प्रकार की है कि सरकार तो सैकुलर है, लेकिन आम जनता सैकुलर नहीं है, उन का आउटलुक सैकुलर नहीं है । दिक्कत यह है कि हम ने डेमोक्रेसी के नाम सब को अपना-अपना धर्म प्रचार करने, अपने तरीके से अपने विचारों को रखने की अपाचुंति दे दी है । उसी का यह परिणाम है कि जब भी हमारी सरकार कुछ काम करने के लिये, समाज सुधार के काम को ले कर आगे आती है तो उस समय ऐसे लोग जिन का सोशल-आउटलुक नहीं है, वे धर्म और गाड की बात को ले कर आगे आ जाते हैं तथा उस काम में रुकावट डालते हैं ।

इस समय जेठमलानी जी यहां उपस्थित नहीं है—मैं उन को उसी समय कहना चाहती थी कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है । आज कल कम्यूनल रायट्स क्यों होते हैं ? इस लिये होते हैं कि हम में सैकुलर-आउटलुक कम हो गई है । जब हम स्वराज्य के लिये लड़ते थे उस समय जो भावना थी, मेरे दिल को चोट लगती है, 35 साल की आजादी के बाद वह भावना खत्म हो गई है । आज हम देश और समाज के लिये नहीं सोचते, रिलीजन और गाड के बारे में सोचते हैं, अपनी कास्ट के लिये सोचते हैं। मेरे यहां एक हरिजन-शेड्यूलड कास्ट कालोनी को जला दिया गया । यह समाज के लिए कितने शर्म की बात है । सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है, सरकार तो उन को प्रोटेक्शन दे रही है, समाज

के लिये शर्म की बात है । हम आजादी की लड़ाई में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म और जाति के, हाथ से हाथ मिला कर लड़ते थे, लेकिन आज उस भावना को भूल गये हैं । मुझे याद है—मेरे घर में मेरे माता-पिता चले गये थे, मैं उस समय सात साल की थी, घर में दूसरा कोई नहीं था । लेकिन उस समय हमारे मन में कोई दूसरा मत नहीं था, कोई कास्ट नहीं थी, हम समझते थे कि हम सब भारत के हैं—मुझे दुख है आज वह भावना देखने में नहीं आती है । आज हम अपनी-अपनी कास्ट और अपने-अपने रिलीजन के बारे में सोचते हैं । इस डेमोक्रेसी में हमारा आउटलुक सैकुलर होना चाहिये—इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं । केवल हमारी सरकार ऐसा सोचती है । सैकुलर आउटलुक के बारे में मैं एक रेजूलेशन इसी पार्लिया मेंट में लाई थी । गवर्नमेंट की सैकुलर आउटलुक है, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इसके साथ साथ समाज का भी सैकुलर आउटलुक चाहिए और उसी के साथ एकजीक्यूटिव का भी सैकुलर आउटलुक चाहिए । हमारे कांस्टीट्यूशन ने लोगों को जो गारंटी दे रखी हैं, उनके लिए सरकार कानून बना सकती है, हम यहां कानून बना सकते हैं लेकिन समाज में लोगों का तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि समाज की आउटलुक न बदले । मेरे दिल को बहुत चोट लगी है और इसलिए मैं सभी से यह कहती हूं कि समाज को सुधारने के लिए हम सब को कुछ करना चाहिए । जो अच्छे कानून हैं, उन पर अमल करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए । मेरे दिल पर बड़ी चोट लगती है जब मैं न्यूज-पेपर पढ़ती हूं और उन में यह पाती हूं कि फलां जगह कम्यूनल रायट्स हुए हैं, कास्ट्स रायट्स हुए हैं । हम समाज

को कैसे बदल सकते हैं। मैं यहां पर लोगों के भाषण सुनती हूँ लेकिन उनमें इस बारे में बहुत कम कहा जाता है। मैं समझती हूँ कि हमें समाज को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए।

हमें महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि महिला भारत की माता है। वह तो मैं मानती हूँ लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं। सरकार उनको प्रोटेक्शन देती है लेकिन समाज उनको प्रोटेक्शन नहीं देता है। जब तक समाज महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं देगा, तब तक कैसे वे आगे आ सकती हैं। यह सही है कि कुछ महिलाएं मेम्बर बन जाती हैं और हमारी प्रधान मंत्री जी भी एक महिला हैं और अगोजीशन पार्टीज में भी कुछ महिलाएं हैं और कुछ एकजी-क्यूटिव पोस्ट्स पर भी काम करती हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जो आगे नहीं आ पाई हैं। समाज उनको आगे लाने के लिए हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि हमारी उन साथी महिलाओं को भी आगे आने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं कहती हूँ कि उनके लिए समाज जिम्मेवार है। जैसे सरकार की रेस्पॉसिबिलिटी है वैसे ही समाज की भी जिम्मेदारी है।

आप जानते ही हैं कि राजा राम-मोहन राय ने महिलाओं के लिए क्या किया उनको सती होने से उन्होंने बचाया पहले जब पति मर जाता था, तो हमारा समाज उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला देता था। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने इसको रोकने के लिए एक कानून बनवाया और

सोशल रिफार्म करके इस प्रथा को समाप्त कराया जो राजा राममोहन राय ने महिलाओं के लिए किया है, उसको महिलाएं भूल नहीं सकतीं। इसी तरह के आजकल जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि 40-50 महिलाओं पर अत्याचार किया गया। हमारे भाइयों को महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देने चाहिए। इसको रोकने के लिए उनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह समाज का एक प्रॉब्लम है और समाज को चेन्ज करने के लिए हम सभी को कुछ करना पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई काम हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान ने किया है। जब बच्चा होता है तो कहते हैं कि भगवान की देन और उसमें हम धर्म और अनाज को ले आते हैं लेकिन जब काम देने की बात आती है, तो हम भगवान का नाम नहीं लेते। समाज के सुधार के लिए भगवान को नहीं कहते। बच्चा पैदा होता है, तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ है लेकिन आजकल देश में अनाज कम है तो नहीं कहते हैं कि भगवान इस को आकर पैदा करो और अनाज दे दो। बच्चा वह पैदा करता है, तो उसके लिये अनाज भी दे। इसलिए हमें इन सब बातों को सोच कर ही कुछ करना चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं कि इन्दिरा जी ने कुछ नहीं किया है। मैं कहती हूँ कि इन्दिरा जी ने जितना किया है उसको सभी जानते हैं। गांव में हम देखते हैं कि जितनी इनकम नहीं है उससे बहुत अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब बच्चों को

[श्रीमती विद्या चलुपति]

पालने में कठिनाई होती है। इनकम इतनी है नहीं। भगवान और रिलीजन को बीच में ले आते हैं। सारी-बहिनें ऐसा बोलती हैं कि भगवान की देन है उसको हम धन्यवाद करते हैं।

फेमिली प्लानिंग हमारी सौशल रिस्पांसिबिलिटी है। अगर हमारे दो बच्चों से ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा काम कैसे चल सकता है। हमारे घर में दो के लिए खाना पकता है तो उसे हम दस को कैसे खिला सकते हैं? इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें भगवान और रिलीजन को अलहिदा रखना चाहिए।

हमारे एक कम्युनिस्ट भाई से बात हो रही थी। उस समय उन्होंने कहा कि खुरेशी साहब ने "हे भगवान" कहा था। खुरेशी जी यू. एस. एस. आर. के नेता थे। उस समय उन्होंने पूछा था कि "आप भगवान का नाम लेते हैं?" तो उन्होंने कहा कि भगवान कहना आदत पड़ गई है। कम्युनिस्ट भाईयों के लिए भी भगवान का नाम लेना एक आदत बन गई है।

हमारे देश में समाज सुधार के लिए जो कानून बनते हैं उन पर ठीक से काम होना चाहिए। अगर सरकार काम करती है लेकिन समाज को नहीं सुधारती है तो समाज आगे नहीं चल सकता। हमारे यहां समाज सुधार के जितने भी कानून बनते हैं उनके लिए हमारे पीपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव की भी जिम्मेदारी है संसद सदस्यों की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि उनके अमल के काम को देखें।

समाज सुधार के कानूनों पर अमल करने के अक्षत हमें गाड और रिलीजन को

अलग रखना चाहिए। यह मुझे इसलिए कहना पड़ा है कि सरकार जो कानून बनाती है वह सब के वॉल्फेयर के लिए बनाती है। उन पर अमल करते समय रिलीजन को, भगवान को अलग रखना चाहिए। जब हम उन पर अमल करने में भगवान और रिलीजन को आगे ला कर रख देते हैं तो उन पर अमल नहीं हो पाता है।

हम फण्डामेंटल राइट्स की बात करते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को भूल रहे हैं। जब राइट्स के लिए पूछती हूँ तो मैं यह भी पूछती हूँ कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं।

समाज में काम करने के लिए ड्यूटीज की बड़ी जरूरत होती है। हमें अपनी डवलपमेंट एक्टिविटीज से रिलीजन और गाड की अलग रखना चाहिए।

हमारी यहां डेमोक्रेटिक सेट-अप है डिक्टेटरशिप तो है नहीं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट आम जनता की भलाई के लिए सोचने पर मजबूर है और हमारे जन-प्रतिनिधि भी आम जनता के लिए सोचने पर मजबूर हैं।

मेरा कहना यही है कि पं.मिली प्लानिंग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरे समाज के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है। हमारी प्रधान मंत्री जी ने यह प्रोग्राम लिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

एक और बड़ी सफलता हमको एशियन गेम्स की मिली है। इसके लिए हमको चुनौती दी गई थी, जिसका हमने सफलता पूर्वक सामना किया है। इस सफलता के

लिए मैं श्री बूटा सिंह जी को जो उस समय चेयरमैन थे धन्यवाद देना चाहती हूँ । श्री बूटा सिंह जी की बैंक बोन श्रीमती इंदिरा जी हैं जिनके सहारे ये सारी सफलता मिली है । उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और उसमें लगे हुए सारे आफिसर्स और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ ।

अब हमारे यहां नान एलायनमेंट के लिए जो इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है वह भी सफलता पूर्वक सम्पन्न होगा । इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । और यह सब इंदिरा जी की ताकत है जिनकी वजह से ये सब कार्य सफलतापूर्वक हो रहे हैं ।

आजकल हमारे देश में रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म बहुत बढ़ रहा है । भाषा के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और प्रान्तीय पार्टियां बन रही हैं । यह देश की उन्नति के लिए ठीक नहीं है । आज बहुत से प्रदेशों में भाषा के नाम पर सरकारें चल रही हैं । अगर इस तरह से सभी राज्यों में भाषा के नाम पर पार्टियां बनेंगी और सरकारें बनेंगी तो इस देश का क्या होगा । इस रीजनलिज्म को रोकना चाहिए नहीं तो हम देश को 300 साल पहले ले जाएंगे । आज हमारे अंदर वही राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए हम सब को मिल कर देश के लिए काम करना चाहिए ।

अंत में मैं यह कह कर समाप्त कर रही हूँ कि ये सारे काम हमारे देश की नेता इंदिराजी के द्वारा हो रहे हैं और आगे भी जो काम होने हैं वे भी इंदिराजी कर सकती हैं वे सबको एक रास्ते पर चला सकती हैं । उनके सहारे जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं उनके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ । मैं डिप्टीस्पीकर साहब को भी बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ने इतना समय दिया और सभी माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ ।

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष आया है, उसके समर्थन में मैं कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kanwar Ram, you can continue on the next day.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): What about my name?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your name is there. You will be called.

Mr. Kunwar Ram—you can continue on the next day. You will be the first speaker on that day.

18.36 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 28, 1983 (Phalgun 9, (1984), Saka.